सरकार बनाम जगदीशलाल
30.10.19

8.5.19 पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा कार्य स्थगत/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 4.6.19 को पेश हो।

15.5.19

फरीकान सरकार द्वारा संयुक्त पुनर्विचार पत्र पेश करने पर फरीकान सरकार द्वारा संयुक्त पुनर्विचार पत्र अवलोकन किया गया। फरीकान का सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व पटवारी की रिपोर्ट दि० 30.4.19 के आधार पर प्रकरण दुरस्ती योग्य प्रतीत होता है। एवं प्रकरण इस न्यायालय के निर्णय से स्थगन नहीं है।

इस प्रकरण पर कोई प्रकाश डाला जाता है। तथा विवादित 528, 531, 532 कुल किता 3 बीघे रामा उदयपुर चित्तौड़गढ़ के वर्तमान राजस्व रिकार्ड (वर्तमान आम) तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दुरस्ती करने के आदेश तहसीलदार को दिये जाते हैं। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व पटवारी हल्का दि० 30.4.19 इस निर्णय व डिक्री के आधार रहेंगे। इस लिखापढ़ी आदर खुले न्यायालय में सुनाया।